राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 18.03.2020

आदेश

झुंझुनू शहर में कोरोना वायरस (COVID-19) के केस पाये गये है। जिस क्षेत्र में केस पाये गये है, उस क्षेत्र में रोकथाम (Containment) की कार्यवाही करने के लिए तीन किलोमीटर का Containment Zone और पांच किलोमीटर का Buffer Zone बनाया जाता है। Containment Zone के इन्चार्ज डा. आर. पी. डोरिया, निदेशक, एड्स और Buffer Zone के इन्चार्ज डा. आर. एस. छीपी, निदेशक, आरसीएच होंगे। डा. आर. पी. डोरिया, निदेशक, एड्स Containment Zone में एक्टिव सर्विलेंस का कार्य दो दिवस में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। डा. आर. एस. छीपी, निदेशक, आरसीएच Buffer Zone में पेसिव सर्विलेंस का कार्य दो दिवस में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। डा. राकेश विश्वकर्मा, विश्व स्वास्थ्य संगठन आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करायेंगे।

18/03/2020
(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5. जिला कलक्टर, झुंझुनू
6. पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू
7. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
8. डा. आर. पी. डोरिया, निदेशक, एड्स को प्रेषित कर लेख है कि दिनांक 19.03.2020 को प्रातः 08.00 बजे जिला कलक्टर, झुंझूंन से सम्पर्क कर एक्टिव सर्विलेंस का कार्य प्रारम्भ करावें।
9. डा. आर. एस. छीपी, निदेशक आर. सी. एच., को प्रेषित कर लेख है कि दिनांक 19.03.2020 को प्रातः 08.00 बजे जिला कलक्टर, झुंझूंन से सम्पर्क कर पेसिव सर्विलेंस का कार्य प्रारम्भ करावें।
10. डा. राकेश विश्वकर्मा, विश्व स्वास्थ्य संगठन को प्रेषित कर लेख है कि दिनांक 19.03.2020 को प्रातः 08.00 बजे जिला कलक्टर, झुंझूंन से सम्पर्क कर सर्विलेंस के कार्य में आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करावें।
11. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, झुंझुनू
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सर्विलेंस हेतु 350 टीमों का आज ही गठन करावें।
13. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
14. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएें, राज. जयपुर।
15. निजी /रक्षित पत्रावली

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव